

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
5/8/25	<p>विवास विवनी / शिवबाल व अन्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। न्यायालय अख्तियार अपील अधिकारी, जोधपुर के क्रमांक / 2025/2973 दिनांक 04/8/2025 द्वारा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेक्षित की है कि इतना लिखते ही पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न उपरोक्त वर्णित पत्र द्वारा सेंट्रल मजिस्ट्रेट राजस्थान अपील अधिकारी, जोधपुर की आदेशिका दिनांक 28/07/2025 के द्वारा अपील अपीलान्ट जरिये सिटिल खारिज की जाकर पत्रावली पुनः न्यायालय हाजिर में प्रतिप्रेक्षित की गई। अतः पत्रावली वास्ते उचित कार्रवाई मायदा दिनांक 07/08/2025 को पेश हो।</p>
07/08/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाश उपस्थित। कमील सखी सखी ने एक सखीता पत्र वाबल "विविध वाद को सिटिल करने की अनुमति प्रदान करने" प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि -</p> <p>"सखी एवं सखीगण के महान गंव के राजीनामा हो गया है इसलिए सखी अलमट सखी भागे चलना नहीं चाहता है तथा सिटिल करना चाहता है। विविध वाद को जरिये सिटिल खारिज करने का आदेश फरमावे।" सखी द्वारा प्रस्तुत सखीता पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः सखी का सखीता पत्र अलमट धारा 212 R.T.A. 1955 जरिये सिटिल निस्तारित कर खारिज किया जाता है। पत्रावली के फल मुगार होकर नखतर से एक होकर दोखिरा इफ्टर हो।</p>

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर